# अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता, प्रयासों और बाधाओं का अध्ययन: आगरा नगर के विशेष सन्दर्भ में

**दयालबाग़ शिक्षण संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग़, आगरा की**
**पीएच. डी. (समाजशास्त्र) की उपाधि हेतु**
**अनुसंधान की संशोधित रूपरेखा**
**(2018)**


**शोध पर्यवेक्षक :–**
**बीरपाल सिंह ठैनुआं**
(असिस्टेण्ट प्रोफेसर)
**समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग**
**समाज विज्ञान संकाय**

**शोधार्थी :–**
खुशबू

**संकाय प्रमुख :–**
**प्रो0 एस.पी. श्रीवास्तव**
समाज विज्ञान संकाय

**विभागाध्यक्ष :–**
**प्रो0 पूर्णिमा जैन**
समाजशास्त्र एवं
राजनीति विज्ञान विभाग
समाज विज्ञान संकाय

**दयालबाग़ एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग़,**
**आगरा–282005**

# अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता, प्रयास और बाधाओं का अध्ययन : आगरा नगर के विशेष सन्दर्भ में

**प्रस्तावना :–**

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रुसो ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था, ''मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है'' (रुसो, 1998)। अपनी इस सूक्ति में रुसो ने शोषण तथा असमानता के बंधनों में जकड़े हुए जनसाधारण के स्वतंत्र होने की और स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। प्राचीन समय में जनसाधारण को मानव अधिकारों का ज्ञान नहीं था। व्यक्ति किसी तथ्य का अधिकार के समान दावा नहीं कर सकते थे, किन्तु धीरे–धीरे व्यक्ति की अनुभवपरकता तथा विवेकशीलता के आधार पर अधिकारों की मांग को बल मिलने लगा। जिसमें सर्वप्रथम धार्मिक अधिकारों से वंचित जनसामान्य को धार्मिक क्रिया–कलापों में अपनी सहभागिता दर्ज कराने की समाज द्वारा स्वीकृति मिली। लिखित रूप से व्यक्ति के अधिकारों की प्रथम घोषणा ब्रिटेन द्वारा सन् 1215 में की गई। ब्रिटिश द्वारा की गयी व्यक्ति के अधिकारों की प्रथम घोषणा को अधिकार पत्र (Magna Carta) के नाम से जाना जाता है। यह अधिकार पत्र मानवीय अधिकारों का जन्मदाता कहा जा सकता है। इसके पश्चात् ब्रिटिश सम्राट ने समय–समय पर अनेक अधिकारों को स्वीकृति प्रदान की। 1215 में मैग्नाकार्टा के बाद ब्रिटेन में सन् 1676 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित किया गया। सन् 1689 में अधिकार पत्र (बिल ऑफ राइट) नामक दस्तावेज लिखा गया, जिसमें जनता को दिये गये सभी महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का समाविष्ट किया गया। विश्व शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्राथमिक सुझाव सन् 1944 में डबार्टन ओक्स सम्मेलन में स्वीकार किये गये थे। उस समय यह कल्पना नहीं की गयी थी कि मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान को संगठन का एक बुनियादी उद्देश्य निर्धारित किया जाये, लेकिन जब दूसरे महायुद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ तो सोवियत संघ के प्रतिनिधि मण्डल की पहलकदमी पर ही घोषणा–पत्र तैयार करने वालो ने मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं के सम्मान से सम्बधिंत प्रावधानों की आवश्यकताओं को स्वीकार किया था।

## यू0 एन0 ओ0 द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा :—

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की। प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में विश्व के सभी देशों में मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में पुरूषों एवं महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है, कि सभी व्यक्ति जन्म से स्वतन्त्र हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करने में लोगों के बीच नस्ल, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता अथवा सामाजिक उत्पति किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

मानव अधिकारों की प्रथम सार्वजनिक घोषणा के 20 वर्षों बाद संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1968 को अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष घोषित किया। इसी वर्ष तेहरान में मानव अधिकार पर एक अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस विशेष सम्मेलन में मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया और एक 'तेहरान घोषणा की गई। 'तेहरान घोषणा' के अनुसार रंगभेद नीति को 'मानवता के विरूद्ध अपराध' कहा गया। रंगभेद की कड़े शब्दों में निंदा की गई तथा मानवों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न बरते जाने के सिद्धान्त पर जोर दिया गया। तेहरान सम्मेलन के 25 वर्षो बाद 1993 में वियना हुए 'द्वितीय मानवाधिकार विश्व सम्मेलन में संसार के 171 देशों ने भाग लिया। सन् 1993 ई0 में हुए वियना के मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण बात मानवाधिकारों के सम्बन्ध में कही गई, यह इस प्रकार थी—''जहाँ हमको विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक परम्पराओं को ध्यान में रखना जरूरी है, वहाँ प्रत्येक राष्ट्र की सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि वह सभी नागरिकों के मानवाधिकारों और उनकी निजी स्वतंत्रता को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान करें। भले ही किसी देश में किसी प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रणाली क्यों न हो।''

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को, जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा—पत्र भी कहा जाता है, न्यायाधीश लाटर पेंट ने अपनी पुस्तक 'इन्टरनेशनल ला एण्ड ह्यूमन राइट्स' में इसे विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना माना है। यह एक ऐतिहासिक घटना है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महानतम उपलब्धियों में से एक है।

1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय एक चार्टर तैयार किया गया था। इस चार्टर के अनुच्छेद 68 के अन्तर्गत मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए 1946 में श्रीमती एलीनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने जून, 1948 में मानवाधिकारों की एक विश्वव्यापी घोषणा

तैयार की, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकृत किया। यही कारण रहा है कि 10 दिसम्बर को सम्पूर्ण विश्व में 'मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इस मानवाधिकार के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में मानव समाज के गरिमायुक्त जीवन–यापन के सभी बिन्दुओं का समावेश किया गया है। सार्वभौमिक घोषणा के समय रूजवेल्ट ने कहा था– "विश्व के अधिकांश व्यक्ति ऐसे है, जो अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं, जिन्हें विश्व व्यक्ति के परम्परागत अधिकारों के रूप में स्वीकार कर चुका है, और इनके बिना कोई भी सम्मान एवं स्वतंत्रता के साथ नहीं रह सकता।

## अधिकार की प्राचीन स्थिति :–

जब–जब मानव का शोषण हुआ, उसे तब–तब अपने अधिकारों की आवश्यकता हुई है। प्राचीन काल में भी राजा–महाराजा ने अपनी प्रजा को समान न्याय प्रदान करने, अपना वक्तव्य रखने का आदि अधिकार दिया था। लेकिन इन राजाओं–महाराजाओं व बादशाहों ने जनता को अधिकार तो दिए परन्तु उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं किया गया। इसी कारण जनता अपने अन्नदाता के विरूद्ध आवाज नहीं उठाती थी और यही वजह रही होगी कि वह अपने अधिकारों से वंचित रह जाते थे, और उनका शोषण होता रहता था। इसी संदर्भ में लास्की का मत है कि "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिसके बिना साधारणतः कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरुप की प्राप्ति नहीं कर सकता" (लास्की, 1917)। इस तौर पर स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन को कुशलता पूर्वक चलाना है तो अपने अधिकारों के हनन को रोकना चाहिए।

## मानव अधिकार की उत्पत्ति :–

मनुष्य अपने अस्तित्व को स्वतंत्र बनाये रखने के साथ ही अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास भी चाहता है। जब तक मनुष्य अपने आप को प्रकृति का एक अंग समझता रहा, पृथ्वी पर संतुलन बना रहा, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर वह अपने आप को प्रकृति का स्वामी समझने लगा। उसने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी सुख–सुविधाओं के साधन जुटा लिए और स्वयं को भौतिकवादी युग में धकेल कर प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित्य करने की लालसा में मनुष्य जानवर से भी अधिक हिंसक प्रवृति का बन गया। व्यक्ति के इस हिसंक व्यवहार को नियंत्रण में करने की माँग हुई क्योंकि व्यक्ति ने कमजोर लोगों को दास बना लिया, व्यक्तियों को प्रताड़ित करने लगे यहाँ तक कि व्यक्तियों की हत्या तक की जाने लगी। व्यक्ति के इस व्यवहार से कमजोर वर्ग को निजात दिलाने के लिए उन्हें मानव अधिकार दिये गये।

मानव अधिकार के इस हनन को रोकने हेतु सर्वप्रथम, 'शांति स्थापना लीग' का गठन किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की स्थापना का प्रथम दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र चार्टर को माना जाता है, लेकिन मूलाधिकारों के रूप में इसका श्रेय 1215 के मैग्नाकार्टा को जाता है।

## मानव अधिकार की अवधारणा :–

मानव अधिकार के संदर्भ में आर0 जे0 विंसेट का मत है कि **"**मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं, इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।" (विंसेट, 1986)। मानव अधिकार की अवधारणा में डेविड सेलबाई का कहना है कि ''मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्ति को प्राप्त हैं, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है, वे पैदा नहीं किये जा सकते, खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं'' (सेलबाई, 1987)। मानव अधिकारों को पारिभाषित करते हुए ए0 ए0 सईद लिखते है कि ''मानव अधिकारों का सम्बंध व्यक्ति की गरिमा से है एवं आत्म सम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखाकिंत करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है।'' इसी संदर्भ में अरुण रॉय लिखते है कि ''मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन, उसके अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं'' (राय, 1999)।

मानव अधिकार को परिभाषित करना सरल नहीं है, किन्तु इसे नकारा नहीं जा सकता। मानव समाज में कई स्तर पर कई तरह से विभेद मौजूद हैं, भाषा, रंग, मानसिक स्तर, प्रजातीय स्तर आदि स्तरों पर मानव समाज में भेदभाव का बर्ताव किया जाता रहा है इन सबके बावजूद कुछ अनिवार्यताँए जैसे न्याय पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार आदि सब समाजों में समान है। यही अनिवार्यताएँ मानव अधिकार कहलाती हैं, जो एक व्यक्ति को मानव होने के कारण मिलनी चाहिए।

## भारत के संदर्भ में मानव अधिकार :–

भारत की सभ्यता एवं संस्कृति हमारों वर्ष पुरानी है। खास बात यह है कि इतने लम्बे वर्षों की विरासत हमारी परम्परा में जीवित है। मानव अधिकार के बारे में यहाँ सदैव नैतिकता के व्यापक प्रसंग में विचार होता रहा है। पूर्णतः यह नहीं कहा जा सकता कि मानव अधिकार की संकल्पना पश्चिमी सभ्यता एवं विचारों की देन है। ऐसा मानना उपनिवेशवादी मानसिकता की उपज है। इतना स्पष्ट है कि मानव अधिकार की अवधारणा प्राचीन भारतीय सभ्यता में भी विचारणीय थी। **'भगवद् गीता'** जो महान महाकाव्य महाभारत का एक भाग है, मानव के लिए उसके कर्त्तव्यों को नियोजित करने की शिक्षा देता है। प्राचीन काल व मध्यकालीन सामाजिक बुराईयों जैसे– दास प्रथा, सतीप्रथा, बाल–विवाह, जाति प्रथा तथा अन्य

अमानवीय परम्पराओं के खिलाफ आंदोलन किया गया। दुनिया भर के सुधारवादी आंदोलनों से प्रभावित होकर भारत के नेताओं ने 1928 के नेहरु रिपोर्ट में तथा कराची अधिवेशन में मानव अधिकारों की बात की। भारतीय संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकार इसी परम्परा का विकास हैं। यहाँ अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू समझे गये हैं। मानव जाति के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों के समान वितरण की घोषणा की गयी। वर्ष 1950 में 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस के रुप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया। भारत में सर्वप्रथम **मध्य प्रदेश राज्य में 6 जनवरी 1992** को देश का पहला मानव अधिकार आयोग गठित करने का संकल्प लिया गया। इसके पश्चात् 1993 में भारत सरकार द्वारा ''मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम'' बनाया गया। मानव अधिकार आयोग ने 1993 में अपनी स्थापना के तुरंत बाद से ही देश में मानवाधिकारों की शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार को अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया था।

## मानव अधिकारों का हननः–

वर्तमान समय में व्यक्ति जितना तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तीव्र गति से वह मानवीय मूल्यों को चुनौती देता हुआ उनका लगातार पतन भी कर रहा है। मानव–मानव का शोषण व उत्पीड़न कर रहा है। मानव के लिए मानव अधिकार होने के बावजूद भी व्यक्ति अर्थात् मानव आज भी समाज में शोषण का शिकार हो रहा है। व्यक्ति की मानव अधिकारों के प्रति चेतनता व जागरूकता का ना होना इस ओर इशारा करता है, कि मानव अधिकार बहुत आवश्यक होते है, क्योंकि ये अधिकार मानव की गरिमा, प्रतिष्ठा मान–सम्मान को समाज में बनाये रखने में नितांत आवश्यक हैं। जब मानव से उसके अधिकारों का ही हरण कर लिया जायेगा, तो मानव की गरिमा, प्रतिष्ठा व उसके मान–सम्मान को भी आघात होगा, अर्थात् इन सबका का भी हरण हो जायेगा। मानव अधिकारों का हनन केवल वैयक्ति स्तर तक ही नहीं हो रहा है, बल्कि यह राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। मानवीय मूल्यों व अधिकारों का हनन सरकार व उच्च पदासीन अधिकारी अपने लाभों व हितों के लिए कर रहे हैं। मानव प्रजाति का अशिक्षित व जागरूकता में कमी का होना उनके लिए बहुत बड़ा फायदा है। मानव प्रजाति में जागरूकता बढ़ाने के बजाय वह उनमें निराशा व कुंठा का समावेश कर रहे हैं।

## मानवाधिकारों का हनन अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में :–

मानव अधिकार व्यक्ति के सर्वागीण विकास के लिए होते हैं। मानव से ही मानवता का, अर्थात् इंसान से ही इंसानियत का जन्म होता है, जो सभी धर्मों, दर्शनों एवं संस्कृतियों का

सार हैं। मानव अधिकार किसी विशेष वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय या क्षेत्र के लिए नहीं हैं। वह सम्पूर्ण राष्ट्रों की मानव प्रजाति के लिए होते हैं। जिसमें स्त्री, पुरूष व बच्चों को भी रखा गया है। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एकता में विभिन्नता पायी जाती है। भारत में व्यक्ति, धर्म, जाति व लिंग पर भेदभाव करता है। भारत में जातीय संकीर्णता एवं विविध अंधविश्वास मानवता के विकास के मार्ग में बाधा बनते आये हैं। समय–समय पर इन मानवीय प्रथाओं के विरोध एवं खण्डन हेतु अथक प्रयास होते रहे है। आज अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है। शोषण का मुख्य कारण उनका अशिक्षित होना है। अन्य पिछड़ा वर्ग वह वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से समाज में पिछड़ जाता है। अन्य पिछड़े वर्ग में पुरूष से भी ज्यादा महिला पिछड़ी पायी जाती है, क्योंकि महिलाओं के विकास में उतनी तीव्र गति नहीं पायी जा रही जितनी कि पुरूषों में हो रही हैं। महिलाओं के विकास हेतु सरकार कई अथक प्रयास कर रही हैं, परन्तु महिलाओं का अशिक्षित होना व जागरूक न होना। उनके पिछड़ेपन का एक अहम् कारण है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों व जातियों के लिए विशेष प्रावधान हैं संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर इन जातियों व वर्गों की सूची प्रकाशित की जाती रही हैं। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। संविधान के अनुच्छेद 15 में तथा मानव अधिकार का अनुच्छेद (2) में जाति, रंग, भाषा, धर्म, राजनीति आदि में भेदभाव किये बिना सभी व्यतियों को सभी अधिकार और संवत्त्रता की समानता के पक्षधर हैं। परंतु संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित मानव अधिकारों के संदर्भ में भारतीय पिछड़े वर्ग की महिलाओं की दशा का विवरण देखने से पता चलता हैं कि यह वर्ग अभी भी सामाजिक दुर्भावना व अन्याय और का शिकार होती है।

## मानव अधिकार की वर्तमान स्थिति :–

विश्व के कुछ ही भागों में मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रताए वास्तव में सुरक्षित हैं, अधिकांश क्षेत्रों में अभी इनका कोई अर्थ नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन की व्यापक घटनाएं हो रही हैं। मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा के सात दशक बीत जाने के बावजूद विश्व भर की मुख्य खबरों में मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघनों की घटनाएं छाई रहती हैं, पर कुछ हद तक मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के प्रयासों, समस्यामूलक क्षेत्रों की निगरानी, खासकर बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार रोकने के प्रयासों की स्थिति में आए सुधारों का श्रेय दिया जाता है। यों तो

मानवता की दुहाई देकर नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की बात अनेक सरकारों की तरफ से उठी है लेकिन अधिसंख्य सरकारें इस क्षेत्र में अपनी दोहरी नीति के कारण असफल रही हैं। मानवाधिकार आयोग का कार्यक्षेत्र उसकी आयु बढ़ने के साथ ही संकुचित होता जा रहा है वह अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रायः विफल रहा है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसका गठन किया था। यह एक तथ्य है कि आज समूचे विश्व में मानव अधिकारों का व्यापक स्तर पर हनन हो रहा है, किन्तु मानवाधिकार आयोग कुछ पक्षपातपूर्ण रिपोर्टे प्रकाशित करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है।

### अवधारणों का स्पष्टीकरण :–

**अन्य पिछड़ा वर्ग :–** भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन समूहों एवं जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया हैं, तथा जो क्रीमी लेयर में नहीं आते अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

**महिलाएँ :–** अध्ययन हेतु 18–60 वर्ष तक की महिलाओं का चयन किया जायेगा।

**मानव अधिकार :–** मानव अधिकार वह अधिकार होते हैं। जो कि मानव को सम्मान व प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन–यापन के लिए प्रदत्त होते है। यह किसी एक समाज या देश के लिए नहीं है, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रों में व्याप्त है।

**जागरूकता :–** किसी तथ्य के प्रति जानकारी ग्रहण करना, व उस तथ्य में रूचि लेना व उसके प्रति जानकारी लेना आदि जागरूकता कहलाता है।

प्रस्तावित अध्ययन अन्य पिछड़े वर्ग की 18–60 वर्ष तक की मलिलाओं पर केन्द्रित है।

## सम्बंधित साहित्य का पुनर्वालोकन :–

- **जयसवाल और जयसवाल (1996)** ने मानव अधिकारों व कानून का वर्णन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बने इन अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित होने तक का स्पष्टतः वर्णन किया है। भारत में मानवाधिकार का प्रयोग एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है। परन्तु मानवाधिकार की भी आवश्यकता हुई क्योंकि मानवाधिकार का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है। भारत के ही नहीं वरन् विश्व के सभी नागरिकों को मानवाधिकार प्राप्त होते हैं। यह कानून एक राज्य या राष्ट्र का नहीं है। यह सम्पूर्ण राष्ट्रों का कानून है। जिस कारण मानवाधिकार की एक विशिष्ट पहचान है।

- **वड़क्कुमचेरी (1996)** ने अपने अध्ययन में यह बताने का प्रयास किया है कि भारत में मानव अधिकार का उद्भव तथा नीतियों का प्रयोग कब से किया जा रहा है? साथ ही साथ भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मानव अधिकार स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन्होंने मानव अधिकार की नीतियों की व्याखा संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में की है। साथ ही मानव अधिकार की नीतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो नीतियाँ निर्मित हुई थी उनकों लेकर भी प्रदर्शन किया गया। मानवाधिकार नीतियों को स्वीकार ना करना तथा उन नीतियों के प्रति हिंसात्मक दृष्टिकोण के पीछे के कारणों का भी वर्णन किया है। मानवाधिकार को व्यक्तियों हेतु सरल व सहज करने का प्रयास इस पुस्तक द्वारा किया है।
- **हरगोपाल (1997)** ने मानव अधिकारों के उद्भव के पीछे के आयामों को दर्शाया है। साथ ही मानव अधिकार के महत्व को बताते हुए मानव अधिकारों को वैश्विक जगत से जोड़ा है इसी के साथ भारतीय राज्यों में, अर्थव्यवस्था में महत्व, राजनीति संस्थाओं व संस्कृति से भी सम्बन्धित कर मानव अधिकारों को स्पष्ट किया है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि मानवाधिकार को प्रयोग वैश्विक जगत पर हुआ है, इस कारण इनका वैश्विकरण भी बढ़ा है। वैश्वीकरण के दौर में व्यक्ति व बड़ी बड़ी कम्पनियाँ अपनी वस्तुओं का आयात–निर्यात वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं। जिस कारण व्यक्तियों को मानवाधिकार की अत्यधिक आवश्यकता हुई थी।
- **लेविन (1998)** ने अपने अध्ययन में मानव अधिकार के सन्दर्भ में वह प्रश्न उठाये हैं जो समाज में प्रासंगिकता रखते है। इन्होंने मानव अधिकार के उन सभी पक्षों को लिया है जिनसे मानव अनभिज्ञ रहता है। मानव अधिकार के प्रति लोगों की रूचि को बढ़ाने का भरसक प्रयास किया है। मानव अपने लिये ही बने अधिकारों से वचिंत रह रहा है। अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी से वह अपना शोषण होने देता है। मानव को जब तक अधिकारों में अपना हित नहीं दिखेगा तब तक वह जागरूक नहीं बन पायेगा। इसी तथ्य को नजर में रखते हुए लेविन ने मानव अधिकारों सबंधी उन प्रश्नों को बताया है जो कि मानव हित में निहित है। इन्होंने बताया है कि मानव अधिकार क्या होते है, मानव अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, मानव अधिकार यू0 एस0 ए0 द्वारा निर्मित है, व्यक्ति इनका कैसे प्रयोग कर सकता है, आदि प्रश्नों के उत्तर इन्होंने अपने अध्ययन में देने का प्रयास किया है। लेविन ने मानवाधिकारों को एक व्यवस्थित क्रम में व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया है।

- **सेन (1998)** ने मानव अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता को स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों को कानून के द्वारा मौलिक अधिकार व मानव अधिकार प्राप्त हैं। इसके बावजूद भी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। बलात्कार, महिला उत्पीड़न, बाल श्रम व बाल उत्पीड़न जैसे कई अपराध आज भी व्याप्त है। महिलाओं को समाज में सम्मान सहित जीवन प्राप्त नहीं हो रहा है। जितना अधिक समाज विकसित हो रहा है। उतना ही अधिक समाज में अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यक्तियों में भेदभाव, द्वेष भावना जैसी भावनाएँ पनप रही हैं। सेन ने इन्हीं सामाजिक बुराईयों को मिटाने के लिए विकसित समाज में मानवाधिकार के महत्व को समझाया है, कि व्यक्तियों को अर्थात् सामाजिक वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे कि उनके साथ होने वाले भेदभाव को मिटाया जा सकें, और उन्हें मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकें।
- **राय (1999)** के अपने अध्ययन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना और उसके क्रिया–कलाप से सम्बन्धित आवश्यक संयोजन एवं परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा की है। इस कार्य में मानव अधिकारों को भारत के संदर्भ में दर्शाया गया है, तथा मानव अधिकार आयोगों के गठन व विकास को भी परिदृश्य किया है जो मानव अधिकार को स्पष्ट समझने में मददगार है। अध्ययन में इस तथ्य को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मानवाधिकार राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित नहीं रह जाते हैं, इनका उद्भव संयुक्त राष्ट्र से है। मानवाधिकारों का विकास विश्व के सभी देशों में हुआ है, भारत में सन् 1928 ई0 में नेहरु रिपोर्ट तथा कराची प्रस्ताव में मानवाधिकारों का पक्ष रखा गया है। भारत के संविधान में मौलिक कर्त्तव्य व मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का वर्णन किया गया। अरूण राय ने व्यक्तियों में मानवाधिकारों की जागरुकता को समझाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थिति को स्पष्ट किया है।
- **सिन्हा (1999)** ने मानव अधिकारों व मौलिक अधिकारों का वर्णन कर स्पष्ट किया है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को सम्मान व प्रतिष्ठा से जीवन यापन करने का एक मुख्य केन्द्र बिन्दु प्रदान करते हैं। मानव अधिकार का क्षेत्र सर्वव्यापी है। मानव अधिकार के मुकदमों की सुनवाई अन्तर्राष्टीय कानून विधि द्वारा की जाती है। क्योंकि मानवाधिकार एक राष्ट्र तक सीमित नहीं रहे हैं। वह विश्वव्यापी है। भारत में मौलिक अधिकार व मानवाधिकार बाह्य दृष्टि से एक समान रूप में दिखाई पड़ते हैं परन्तु इनमें विभिन्नता पायी जाती है। मौलिक अधिकार का क्षेत्र एक देश में सीमित रहता है। जबकि मानवाधिकार सम्पूर्ण राष्ट्रों में समान रूप से कार्य करते हैं। व्यक्ति को उसकी

स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा व उदारता प्रदान करते हैं। मानव हितों के लिए बने अधिकार ही मानवाधिकार कहलाते हैं।

- **वर्मा (1999)** ने लिखा है कि भारत के संविधान में मानवाधिकारों को जोड़ा गया है मानवाधिकार व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इस बात को समझते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को स्वयं में सम्मिलित किया है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहाँ जनता द्वारा बनी सरकार जनता के लिए कार्य करती है, और मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए बने हैं एवं आवश्यक भी होते हैं। भारत का संविधान बहुत ही श्रेष्ठ संविधान माना जाता हैं क्योंकि यहाँ जनता के हितों व अधिकारों का हनन की संभावना अन्य देशो की तुलना में बहुत कम है यहाँ के नागरिकों को मानवाधिकारों के अतिरिक्त मौलिक अधिकार व कर्त्तव्य दोनों प्राप्त है।
- **फोरस्थे (2000)** ने स्पष्ट किया है कि मानवाधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अपनी पुस्तक में इन्होनें मानवाधिकार की भूमिका का वर्णन किया है, तथा स्पष्ट किया है कि मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने में अहम् भूमिका भी रखते है। मानव अधिकार व्यक्ति के जीवन हेतु आवश्यक अधिकार है। इनका पूर्णतः ज्ञान होना मानव के लिए आवश्यक है जिससे कि व्यक्ति मानव अधिकारों के महत्व को समझ सकें। इन्होंने मानव अधिकारों को भारत के संदर्भ में स्पष्ट करने के ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी महत्ता को बताया है। क्योंकि मानवाधिकारों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में घनिष्ठता बनी रहती है।
- **हक (2000)** ने मानव विकास को वर्णित किया है। इन्होंने साउथ एशिया क्षेत्र को लेकर अपना अध्ययन किया है। इन्होंने भारतीय मानव विकास को वर्णित कर स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को खासतौर पर महिलाओं को अधिकार तो प्राप्त है परन्तु वह अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं। सरकार उनके लिए मानव अधिकार के साथ ही साथ महिलाओं को महिला अधिकार भी प्रदत्त करती है। जो कि विशेषतः महिलाओं के लिए बने हैं। यह सब अधिकार होने के बावजूद भी महिलाओं में अपने अधिकार को लेकर जागरुकता नहीं हैं क्योंकि वह आज भी कहीं ना कहीं स्वयं को पुरूषों के पराधीन मानती है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ नारी को देवी तो पति को परमेश्वर स्वरुप दिया जाता रहा है। जिस कारण प्राचीन समय की स्त्रियाँ स्वयं को पति की दासी समझकर ही रहती थी परन्तु वर्तमान में यह स्थिति बदल गई है। नारी के विकास के संदर्भ में शुरू से ही सती प्रथा, बाल–विवाह, पर्दा प्रथा, जौहर, नारी शिक्षा आदि आंदोलन चलाये जा रहे थे। उन आंदोलनों को विधिक रूप प्रदान कर उनको

मानवाधिकार व महिला अधिकार दिये हैं। जहाँ पुरूष पहले स्त्रियों को घर में रखना चाहते थे, वही अब स्त्रियों को प्रतियोगिता के हर क्षेत्र में उतार रहे हैं। यह मानव के विकास का स्वरूप है।

- **चतुर्वेदी (2002)** ने अपने अध्ययन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की मूल भावनाओं और व्यवहार में किए गये कार्यों को समझाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है, कि विश्व के नागरिकों के लिए शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान, जीवन स्तर ऊँचा करने के प्रयासों व समाज को प्रगतिशील बनाने के और मानव अधिकार के उद्देश्यों से जनता को जागरूक करने का महत्वपूर्ण प्रयास है। विश्व समुदाय मानव अधिकारों पर विशेष बल दे रहा है। जहाँ मानव अधिकारों ने व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने का प्रयत्न किया, वही संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व में जिस प्रकार लोकतंत्र के प्रति लगाव बढ़ता गया उसी प्रकार विश्वभर में मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता की लहर दौड़ गई। इन्होंने भारत के विशेष संदर्भ में मानव अधिकारों का वर्णन किया है।
- **फ्रीमैन (2002)** ने अपने अध्ययन में समाज विज्ञानों को साथ लेते हुए अधिकारों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। महिलाओं के अधिकारों व मानव अधिकारों का वर्णन करते हुए यू0 एन0 ओ0, एमनेस्टी इन्टरनेशनल के द्वारा दिए गये तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया है कि अधिकार समाज में रहकर ही मिलते हैं। समाज विज्ञान की शाखाएँ–समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नागरिकशास्त्र आदि में मानव अधिकारों को जोड़ा है, क्योंकि इन विषयों का विद्यालयों व विश्वविद्यालय में पठन–पाठन कराया जाता है, और इन विषयों के माध्यम से ही मानव अधिकारों की जानकारी दी जा सकती है।
- **गौतम (2003)** ने मानव अधिकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार प्रस्तुत किये हैं। मानव अधिकार की भारतीय प्रत्याभूति, स्त्री–पुरूष सम्बन्धों और मानवाधिकारों, महिला उत्पीड़न और मानवाधिकार, महिला संरक्षण और जागरूकता जैसे शीर्षकों पर अनेक जिज्ञासाएँ व शंकाए और उनके समाधान प्रस्तुत किये हैं। विश्व स्तर पर सभी देश अपने–अपने हितों के अनुसार मानवाधिकार का प्रयोग व हनन् की घटनाओं की व्याख्याएँ व कार्यवाहियों को करते हैं। मानव अधिकारों का प्रयोग से ज्यादा मानव अधिकारों का अधिक हन्न हो रहा है, और इसका मूल कारण राजनीतिक सत्ता है। जो अपने ही द्वारा दिये गये मानव अधिकारों के प्रति जनता को जागरूक ना करके उन्हें अधंकार में रखकर उनके अधिकारों का हन्न करती है। महिलाओं की स्थिति दयनीय

बना दी गई है। महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए मानव अधिकारों का प्रचार करना आवश्यक है जिससे वे मानव अधिकारों का प्रयोग करके सक्षम बन सकें।

- **गौतम (2003)** ने अपनी पुस्तक में लेखकों के सम्पादित विचार का समन्वय कर मानवाधिकार के सम्बन्ध में लिखा है कि मानवाधिकार 'जियो और जीने दो' की अवधारणा के पर्याय है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय जनगण की ओर से मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में तात्विक रूप से सम्मिलित कर इन्हीं अधिकारों को अधिनियमित अंगीकृत किया। भारत का संविधान राष्ट्र का आधारभूत ढाँचा है, यह समस्त विधियों का स्त्रोत है। इसमें अधिकांशतः मानव अधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित किया गया है। भारत की न्यायपालिका ने भी इन अधिकारों के संरक्षण में सकारात्मक जागरूकता का परिचय दिया है, और मूल अधिकारों के क्षेत्र को व्यापक बना दिया है। यह कार्य मानव अधिकार के इतिहास से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप तक विवेचना परक सामग्री उपलब्ध कराता है।
- **रॉय (2003)** ने अपनी पुस्तक में चार्टर द्वारा सार्वभौम घोषणा पत्र में वर्णित मानव अधिकार अनुच्छेद को वर्णित किया है। रॉय ने मानव अधिकारों को मानव हित के लिए माना है। अपने अध्ययन में रॉय ने बताया है कि व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती ही है। मानव अधिकार किसी एक के हित या किसी एक वर्ग, जाति, धर्म व वंश के लिए नहीं हैं। यह सम्पूर्ण मानव जाति के लिए बनाये गये अधिकार हैं। यह सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। मानव अधिकार व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, समानता व संप्रभुता का जीवन व्यतीत करने में मददगार साबित होते हैं।
- **तलेसरा (2003)** ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि मानव अधिकार संरक्षण वर्तमान में विश्व के समक्ष अहम् चुनौती है। सम्पूर्ण मानव जाति आज शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद से पीड़ित है। पग–पग पर वह तिरस्कृत एवं असुरक्षित है। सम्मानपूर्वक जीवन यापन मानव जाति के समक्ष दूभर हो गया है। इस स्थिति से उबारने एंव मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार अधिनियम 1993 का गठन सर्वप्रथम मध्यप्रदेश में हुआ, मैग्नाकार्टा बिल ऑफ राइट्स तथा मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुए। इन्होंने मानव अधिकार तथा शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयामों को कड़ीबद्ध जोड़ने का प्रयास किया है।

- **देवी (2004)** ने मानव अधिकारों को आधुनिकता में महत्वपूर्ण माना है। आधुनिक विश्व अब जाग्रत हो चुका है वह अधिकारों के प्रति जागरूक व चेतन दोनों ही है। व्यक्ति बिना अधिकारों के खुशहाल जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है क्योंकि वर्तमान में मानव मानव का ही शोषण व उत्पीड़न करता है अगर उसे उत्पीड़न व शोषण से बचना है तो मानव अधिकारों का प्रयोग करना होगा। मानव अधिकार व्यक्ति के लिए बनाये गये अधिकार है। व्यक्ति अपना जीवन स्वतन्त्रता, समानता व प्रतिष्ठा पूर्वक व्यतीत कर सकें। वर्तमान समय का मानव इन अधिकारों को प्रयोग में ला रहा है।
- **बन्दा (2005)** ने अपने अध्ययन में महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण के वर्णन करने हेतु उसे अमेरिकन परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया  हैं कि अमेरिकन परिवारों में मिश्रित परिवार प्रणाली है। जिसमें प्रथा परम्पराएँ व धर्म को लेकर सदैव चर्चा बनी रही है। हम सदैव यह मानते आये हैं कि भारतीय परिवारों में ही प्रथाएँ परम्परायें व धर्म का पालन होता है परन्तु ऐसा नहीं है। अमेरिकन परिवारों में भी महिलाओं के ऊपर नियम व कानून है। महिलाएँ स्वतंत्र होकर भी बधीं हुई मानी जाती हैं। अमेरिकन महिलाएँ परिवार के पालन पोषण के लिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहती हैं क्योंकि वे आत्मनिर्भर होती हैं परन्तु जब वह घर से बाहर निकलती हैं तो कई प्रकार के शोषण को भी सहना पड़ता है। अमेरिकन समाज में भी लिंग भेद व्याप्त है। महिलाओं की असुरक्षा के पीछे मुख्य बिन्दु जो सामने आता है वह लिंग विभेदीकरण ही है। महिलाएँ अपनी काबिलियत के लिए कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर स्वयं को साबित कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर द्वारा निर्मित मानव अधिकार ने महिलाओं को कुछ राहत दी है यही राहत उन्हें समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा से भरा जीवन प्रदान करता है अमेरिकन समाज में 2003 में मानव अधिकार ने तेजी से गति पकड़ी है जिससे महिलाओं के जीवन में बदलाव आये हैं।
- **गुप्ता (2005)** ने ट्रांसजेंडर्स की स्थिति का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक में इन्होंने लेबेस्यिन, गे व ट्रांसजेंडर्स के साथ समाज में जो प्रताड़ना भेदभाव प्राप्त होता है, उसका वर्णन करते हुए मानव अधिकार की महत्ता को बताया है जन्म से ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में मान–सम्मान प्राप्त नहीं होता है। उन्हें समाज की बुराईयों का सामना करना ही पड़ता है। जहाँ एक ओर समाज स्त्री–पुरूष में भेदभाव करता है उससे अधिक वह सामान्य व्यक्ति व ट्रांसजेडर व्यक्तियों में करता है। महिलाओं के हित के लिए सरकार द्वारा महिला कानून अधिकार बनाये गये हैं जो कि विशेष तौर पर महिलाओं के लिए ही हैं, परन्तु अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उतने सटीक अधिकार नहीं बने हैं। उनको भी समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार

प्रदान हों। **इन्द्राणी सेन गुप्ता** ने इसी तथ्य को उजागर करते हुए अल्पसंख्यक वर्ग हेतु मानव अधिकार का महत्व बताया है क्योंकि प्रत्येक देश में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अलग–अलग अधिकार हैं। परन्तु मानव अधिकार विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान हैं। चाहे व्यक्ति अमीर–गरीब, वृद्ध, जवान, स्त्री–पुरूष, उच्च वर्गीय या निम्न वर्गीय हो सभी को समाज में समान दृष्टिकोण व सम्मान प्रदान किया जायेगा। इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग भी सभी व्यक्तियों की भाँति जीवन सुखमय व्यतीत कर सकते हैं मानव अधिकार का महत्व विश्व व्यापी है जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है।

- **बंदोपाध्याय (2007)** ने मानव अधिकार के संदर्भ में स्पष्ट किया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों के पास अधिकार ना होना एक ज्वंलत समस्या बन गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ व गैर सरकारी संगठन अधिकारों के प्रचार–प्रसार में थें परन्तु जो व्यक्ति युद्ध के समय शरणार्थी बन गया था उसके लिए इन अधिकारों की अत्यंत आवश्यकता थी। शरणार्थीयों को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने मानव अधिकार को समझाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को एक सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जन धन की बहुत हानि हुई, बहुत से व्यक्ति बेघर व बेसहारा हो गये जिसके कारण से व्यक्तियों को आवास, भोजन, वस्त्र व मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति नहीं हो रही थी। व्यक्तियों को घृणा की दृष्टि से देखना तथा दुत्कारना मात्र रह गया था। इस समस्या के प्रति सरकार का ध्यान गया और ऐसे अधिकारों का निर्माण किया गया जो सभी के लिए समान हो जिसमें व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीवन प्राप्त हो सकें। इन अधिकारों को ही मानव अधिकारों का नाम दिया गया।
- **गोन्जाल्वस (2008)** के अनुसार भारतीय संविधान में महिलाओं के हित उनके अधिकार उनके सम्मान, सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। संविधान में महिला अधिकार व मानव अधिकार दोनों में ही महिलाओं के आत्म सम्मान व सुरक्षा का वर्णन है। मानव अधिकार किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं बनाये गये हैं वह सम्पूर्ण राष्ट्र हित के लिए निर्मित हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र के व्यक्तियों का ध्यान रखा गया है। भारत में महिलाओं को जहाँ देवी मानकर पूजा जाता है। वही दूसरी ओर उनकी स्थिति दयनीय भी है। गोन्जाल्वस ने अपनी पुस्तक में महिला व मानव अधिकार को स्पष्टतः वर्णन किया है कि महिलाएँ देश का एक हिस्सा हैं जिन्हें पुरूषों के समान आजादी व सम्मान मिलना चाहिए। इसी सम्मान व आजादी के लिए महिलाओं के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है कि उनको भाईचारे के साथ जीवन यापन करने दें। समाज में उन्हें वहीं सम्मान

व प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए जो कि पुरूषों को दी जाती है। भारत पुरूष प्रधान देश है जहाँ महिलाओं को द्वितीय दर्जा अर्थात स्थान प्राप्त है। यही स्थान उन्हें समाज में पीछे की ओर ढकेल रहा है। जिस कारण महिलाएँ समाज में अपने आपके साथ सामंजस्य महसूस करती हैं यह अनुभव उन्हें मानव अधिकार से अनभिज्ञ कर रहा है।

- **रिले (2009)** ने बढ़ते हुए वैश्वीकरण में महिला की भूमिका के बारे में स्पष्ट किया है कि जहाँ एक ओर समाज प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है वहीं दूसरी ओर समाज में लिंग भेद भी व्याप्त है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति आधुनिकता को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ रहा है परन्तु वह केवल बाह्य रूप में ही आधुनिक है। आन्तरिक रूप से नहीं। व्यक्ति की मानसिकता आज भी स्त्री–पुरूष में भेदभाव वाली है। 21वीं सदी में होने के बावजूद व्यक्ति महिलाओं को पीछे की ओर धकेल रहा है। महिलाओं के विकास, सम्मान के लिए सरकार ने उनके हित हेतु महिला सशक्तिकरण व महिला आन्दोलनों को बढ़ावा दिया। महिलाओं के मानव अधिकार उनकी उन्नति उनके समुचित न्याय हेतु बनाये गये अधिकार हैं। महिलायें आधुनिक युग में रहती अवश्य हैं परन्तु उन्हें समाज में प्रताड़ना प्राचीन भारत की भाँति नहीं मिल रही है। जहाँ एक ओर महिलाएँ पुरूषों के साथ घर–गृहस्थी के साथ देश चला रही हैं, लेकिन वह आज भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शोषण का शिकार हो रही हैं। शोषण उन्हें मानसिक व शारीरिक दोनों रूपों में मिल ही रहा है। इसी शोषण से मुक्ति हेतु सरकार ने विशेष तौर पर महिला अधिकार बनाये और साथ ही सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त मानव अधिकार में भी महिला हित सम्मिलित किया।
- **एडवर्डस (2010)** के अनुसार मानव अधिकार महिलाओं के शोषण को रोकने में मददगार साबित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् मानव व धन की हानि के साथ कई सारी समस्याएँ भी उजागर हुई थीं। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन सैनिकों की मृत्यु हुई उनके परिवारों की महिलाओं को प्रताड़ना, शोषण व अत्याचारों के अलावा कुछ और प्राप्त नहीं हुआ था। द्वितीय विश्व के पश्चात् व्यक्ति शरणार्थी हो चुका था वह अपनी जरूरतों के लिए अन्य व्यक्तियों व महिलाओं को नुकसान पहुंचाने लगा था। महिलाओं के साथ बलात्कार व प्रताड़ना करना उसका शौक बनता जा रहा था पुरूष प्रधान समाज युद्ध में हुए सैनिकों की मृत्यु के पश्चात् उनकी महिलाओं को हानि पहुंचाने लगे। इस तरह की समस्याएँ जब समाज में अत्यधिक व्याप्त होने लगी तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी समाज के लिए आवश्यक हो गई और मानव अधिकारों को निर्मित किया। महिलाओं को सशक्त करने के साथ ही उन्हें नारीवाद आन्दोलनों के लिए भी प्रेरित किया कि वह अपने ऊपर

हो रहे शोषण के प्रति अपनी आवाज उठायें और अपना अस्तित्व समाप्त ना होने दें। द्वितीय विश्व युद्ध में सिर्फ मानव अधिकार ही निर्मित नहीं हुए बल्कि नारीवाद आन्दोलनों की भी नींव पड़ चुकी थी तथा महिलाओं को सशक्त भी होने के लिए प्रेरित किया।

- **शर्मा (2010)** ने अपने अध्ययन में मानव अधिकार का इतिहास स्पष्ट किया है। मानव अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा का वर्णन करते हुए इन्होंने मानव अधिकार के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन दिया है। इन्होने बताया है कि मानव अधिकार हेतु कई सम्मेलन आयोजित किय गये। श्रेणीबद्ध करके सम्मेलन का वर्णन किया है साथ ही बताया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार को बनाया व लागू किया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाये गये मानव अधिकारों को 1945 में सम्पूर्ण राष्ट्र में स्वीकार नहीं हुए परन्तु सन् 1948 में 10 दिसम्बर को यह सम्पूर्ण विश्व में लागू किया गया है। और इस घोषणा पत्र द्वारा लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा—पत्र में मानव अधिकार हेतु 30 अनुच्छेदों का वर्णन किया है। मानव अधिकारों का वर्णन वैश्विक स्तर के साथ ही साथ भारतीय संदर्भ में भी बताये हैं। भारत में मानव अधिकारों की उत्पत्ति व मानव अधिकार की कार्यप्रणाली का भी वर्णन किया है।
- **चन्द्रशेखर (2011)** ने महिला के प्रति शोषण व हिंसा को रोकने के लिए मानव अधिकार को सही ठहराया। उनके अनुसार मानव अधिकार से महिलाओं के जीवन में एक नई दिशा व रोशनी की किरण नजर आती है। मानव अधिकार पुरूष व महिला दोनों के लिए हैं। यह किसी विशेष लिंग के सदस्यों हेतु निर्मित नहीं हुए हैं। वरन् मानव अधिकार समाज में व्याप्त लिंग विभेदीकरण को भी समाप्त करता है। महिलाओं के प्रति जो हिसांत्मक रवैया चल रहा है उसके पीछे लिंग विभेद ही है। भारतीय समाज में लिंग विभेद की समस्या प्राचीन काल से ही चली आ रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् समाज में जन, धन की अत्यधिक हानि हुई। इसी हानि के सुधार हेतु मानव अधिकारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त है। यही कथन सत्य साबित करने हेतु सम्पूर्ण राष्ट्रों में मानव अधिकारों को स्थापित किया गया है। मानव अधिकार पुरूष समाज से ज्यादा महिला समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाएँ मानव अधिकार का प्रयोग कर अपने हक व अधिकारों के लिए लड़ सकतीं हैं साथ ही अपने ऊपर हो रहें अत्याचारों व शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं।

- **रॉस (2013)** ने मानव अधिकारों पर पहली केसबुक लिखी। यह विधि छात्रों के लिए महिला मानव अधिकारों की व्याख्या है। अनेक अधिवक्ताओं ने मानव अधिकार तो बताये हैं किन्तु उन्होंने महिला अधिकारों की व्याख्या नहीं की। उन्हें नहीं पता कि महिलाएँ धर्म, प्रथाएँ, रीति–रिवाजों, परम्पराओं के आधार पर शोषित हो रही है। महिलाओं की समस्याएँ समाज में दबकर रह जाती हैं। रॉस ने पुस्तक में बताया है कि छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करके उनको शोषित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन मासूम लड़कियों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। उनके पतियों के द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया जाता है क्योंकि कम उम्र में लड़कियों के साथ जबरन सम्बन्ध स्थापित किया जाता है जो महिलाओं के प्रति हिंसा है। इस हिंसा के लिए मानव अधिकारों में विशेष तौर पर महिला मानव अधिकारों में सजा की व्यवस्था कम है, जोकि विधि छात्र अथवा अधिवक्ता को पता होना चाहिए है। महिलाओं में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता कम होती है, इसलिए अधिवक्ताओं व विधि छात्रों द्वारा उनकों जागरूक किया जा सकता है। रॉस ने साउथ अफ्रीका के आकड़ों के आधार पर स्पष्ट किया है कि 17 प्रतिशत लड़कियों में एच0 आई0 वी0 पाया गया जबकि लड़कों में 4.4 प्रतिशत एच0आई0बी0 पॉजिटिव पाया गया। लड़कियों में एच0आई0वी0 व एड्स होने का कारण उनके साथ किया गया शारीरिक शोषण था।
- **डोनलई (2014)** ने अपनी पुस्तक से स्पष्ट किया है कि मानवाधिकार का प्रयोग वैश्विक स्तर पर होता है। मानव अधिकार सार्वभौमिक रूप में पाये जाते है। मानव अधिकार का स्तर व्यापक है वह सीमित क्षेत्र में प्रयोग होने वाले मात्र अधिकार नहीं है। मानव अधिकार की संगठन व संस्थाएँ ज्यादातर बड़े व बाहुल्य क्षेत्र या शहरों में पाये जाते है। मानवाधिकारों को लागू करने का श्रेय यू0 एन0 ओ0 को जाता है। भारत जैसे–जैसे विकास की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही मानव अधिकार को बढ़ावा मिल रहा है मानव अधिकार सर्वव्यापी प्रणालियों के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है।
- **क्लैफम (2015)** मानव अधिकार के सम्बन्ध में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए मानव अधिकार को वर्णित किया है। मानव अधिकार एक देश में नहीं होते है, बल्कि सम्पूर्ण विश्व में होते है। देश के किसी भी कोने में हमारे अधिकारों का हनन् होता है तो मानव अधिकार ही एक मात्र ऐसा साधन होता है जो कि व्यक्ति के साथ हुए अत्याचार को जल्द से जल्द निपटाने में मददगार साबित होते है। साथ ही जिन अधिकारों का हनन् होता है तो उनके बचाव के लिए भी मददगार साबित होते है।

**समस्या कथन :–**

भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक सफल लोकतान्त्रिक गणराज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,210,193,422 है, जिनमें से महिलाओं की संख्या 586,469,174 है, जो कुल जनसंख्या का 48.5 प्रतिशत है। सिद्धान्ततः भारत के सभी नागरिक समान है, प्राचीन काल में भी सिद्धान्ततः महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था, लेकिन व्यवहार में स्थिति में क्या थी? यह स्पष्ट नहीं है। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं भूमण्डलीकरण ने महिलाओं की स्थिति तथा अधिकार एवं क्रिया–कलापों को क्रान्तिकारी रूप में परिवर्तित किया है। आज जहाँ एक ओर महिलाएँ पुरूषों के बराबर सभी क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर समाज एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ परिवार से लेकर समाज तक भेदभाव, शोषण एवं हिंसा भी निंरतर बनी हुई है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार एवं मानव अधिकार के उपभोग में भी महिलाओं के साथ प्रत्येक स्तर पर भेदभाव देखा जा सकता है। आजादी के पश्चात् प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग) ने–''भारत की सभी महिलाओं को पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत माना।'' महिलाएँ आज भी अपने मानव अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। समाज के अनेक क्षेत्र में महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन् हो रहा है, उनके प्रति उत्पीड़न, शोषण व हिंसा विश्वव्यापी घटना के रूप में बनी हुई है जिससे कोई भी देश, कोई भी समाज एवं कोई भी समुदाय मुक्त नहीं है। भारत में पिछड़े वर्ग की महिलाओं का जीवन उनकी चारदीवारी तक सीमित रह रहा है क्योंकि इनकी जड़े सामाजिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई है। कोख से कब्र तक महिलाएँ आज असुरक्षित हैं, देश में पुरूषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। अगर गर्भ में पल रहा भ्रूण कन्या है, तो गर्भपात करा दिया जाता है। जो समाज अजन्मी बेटी से जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है तो वह समाज महिलाओं को मानव अधिकारों का उपयोग करने व मानव अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक कर सकता है? पिछड़े वर्ग की महिलाओं के संदर्भ में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट के अतिरिक्त विश्व के कई मानव अधिकार संगठनों एवं संस्थाओं से जुड़ी रिपोर्टों में महिलाओं की शोषण की स्थिति को बताया गया है। मानव अधिकारों के प्रति पिछड़े वर्ग की महिलाओं में जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रस्तावित अध्ययन अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता पर आधारित होगा।

## अध्ययन का महत्व :–

वर्तमान में महिलाओं को अनेक मानव अधिकार प्रदान किये गये हैं, परन्तु उनके प्रति आज भी महिलाओं में अनभिज्ञता है। आज महिलाएँ घर से लेकर देश तक को चला रही हैं, फिर भी वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, शोषण, भेदभाव एवं उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही हैं, और आवाज ना उठा पाने का सबसे बड़ा कारण है समाज। इतिहास गवाह है कि महिलाओं के शोषण के खिलाफ बने कानूनों में से ज्यादातर कानून कागजी ही सिद्व होते हैं, क्योंकि उनको लागू करने की जिम्मेदारी जिस समाज पर है, वह मूलतः पुरूष वर्चस्व की मानसिकता वाला है। एमनेस्टी इण्टरनेशनल 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2014 में 3,27,000 अपराध महिलाओं के साथ हुए है, जिनमें से आधे से ज्यादा अपराधों पर सुनवाई तक नहीं हुई है। भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग की महिलाएँ सिर्फ अपनी जाति से ही पिछड़ी नहीं है, बल्कि वह शिक्षा, आर्थिक स्तर, राजनैतिक स्तर व अपनी सोच से भी पिछड़ी हैं। वह घर, परिवार, समाज की लोक–लाज व रूढ़िवादी परम्परा की जंजीरों में आज भी जकड़ी हुई है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर इस अध्ययन के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों की जागरूकता एवं उनका उपयोग के अध्ययन कर मानव अधिकारों की महिलाओं के सन्दर्भ में उपयोगिता को समझाने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायेगा, ताकि समाज महिलाओं के अधिकार के प्रति संवेदनशील हो सकें।

## उद्देश्य :–

- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में शिक्षा का उनकी जागरूकता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों की जागरूकता में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाले शासकीय प्रयासों का अध्ययन करना।

**परिकल्पना :—**

- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सामान्यतः निम्न वर्गीय है।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों की जागरूकता का अभाव है।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में षिक्षा का उनके मानव अधिकारों की जागरूकता में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों में उनकी रूढ़िवादी सोच एक बड़ी बाधा है।
- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने में शासकीय प्रयास अहम् भूमिका निभा रहे हैं।

## शोध पद्धति

**शोध प्रचना :—**

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक शोध प्रचना पर आधारित होगा। जिसमें न केवल तथ्यों को संकलित कर उनका वर्णन किया जायेगा बल्कि संकलित तथ्यों के मध्य कार्य—कारण सम्बन्धों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकार के प्रति उनकी जागरूकता की व्याख्या की जायेगी।

**अध्ययन क्षेत्र :—**

प्रस्तावित अध्ययन का अध्ययन क्षेत्र उत्तर प्रदेष राज्य का आगरा नगर है। आगरा नगर उत्तर पष्चिम भारत के लगभग केन्द्र में स्थित है तथा यह उत्तर भारतीय नगरीय समाज का प्रतिनिधित्व करता है। आगरा नगर में सामान्य वर्ग की जनसंख्या के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या बड़ी तादात में निवास करती है। अतः अध्ययन क्षेत्र के रूप में आगरा नगर का चुनाव किया गया है।

**अध्ययन का समग्रः—**

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जनपद की कुल जनसंख्या 4,418,797 है। जिसमें से महिलाओं की संख्या 2,053,844 है, और अन्य पिछड़ वर्ग की महिलाओं

की संख्या 359,874 है। अध्ययन का समग्र आगरा नगर में 18 से 60 वर्ष की उम्र की सभी अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएँ हैं।

## निदर्शन :—

प्रस्तावित अध्ययन को पूरा करने के लिए स्तरीकृत निदर्शन का प्रयोग कर आगरा नगर के 100 वार्डों का चयन कर प्रत्येक वार्ड से 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन किया जायेगा।

## तथ्य संकलन के स्त्रोत :—

प्रस्तावित अध्ययन को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों का प्रयोग किया जायेगा। सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर प्राथमिक स्त्रोतों से आवष्यक तथ्यों को एकत्रित किया जायेगा साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रकाशित अभिलेखों जैसे पुस्तकों, समाचार पत्रों, शोध पत्रों, पत्रिकाओं, इन्टरनेट आदि द्वितीयक स्त्रोतों की सहायता से तथ्यों को एकत्रित किया जायेगा।

## अध्ययन सयंन्त्र :—

प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु अध्ययन संयन्त्र के रूप में अध्ययन के उद्‌देश्यों को ध्यान में रखकर साक्षात्कार—अनुसूची का प्रयोग करने का निश्चय किया गया है।

## पूर्वगामी सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन संयत्र की जाँच :—

अध्ययन संयन्त्र निर्माण के पश्चात इसकी जाँच करने हेतु 5 उत्तरदाताओं पर अध्ययन संयंत्र का प्रयोग कर अध्ययन सयंत्र की जांच की जायेगी। जिसके द्वारा प्रष्नों की उपयुक्तता, प्रासंगिकता तथा सटीकता की जाँच की जायेगी तथा प्रष्नों में पायी गयी कमी को दूर किया जायेगा।

### तथ्य संकलन :—

अध्ययन संयत्र की जाँच के पश्चात क्षेत्रीय कार्य के द्वारा उत्तरदाताओं से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जायेगा साथ ही विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से आवष्यकतानुसार द्वितीयक तथ्यों का भी आवष्यकतानुसार संकलन किया जायेगा।

## तथ्यों का सम्पादन एवं संकेतन :—

तथ्यों का सम्पादन एवं संकेतन तथ्यों को क्रमबद्ध करना, उन्हे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना तथ्यों का सम्पादन कहलाता है। इसी क्रम में संकलित तथ्यों का सम्पादन कर उनका संकेतन भी किया जायेगा।

**तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण :–**

तथ्यों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर उनको विभिन्न सारणियों में प्रदर्शित किया जायेगा, तत्पश्चात् उनका विश्लेषण करके अन्त में निष्कर्षों का सामान्यीकरण किया जायेगा।

**तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन :–**

प्राप्त निष्कर्षों को प्रभावशाली एवं आकर्षित रूप में प्रस्तुत करने हेतु अन्त में उनका चित्रों, रेखाचित्रों में प्रदर्शन किया जायेगा।

# प्रस्तावित अध्याय सूची

**प्रथम अध्याय– प्रस्तावना**

- प्रस्तावना
- समस्या का कथन
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य का पुनर्वलोकन
- अवधारणों का स्पष्टीकरण
- अध्ययन के उद्देश्य

**द्वितीय अध्याय– शोध पद्धति एवं शोध प्रचना**

- अध्ययन की परिकल्पना
- शोध प्रचना
- अध्ययन क्षेत्र
- अध्ययन का समग्र
- निदर्शन
- अध्ययन संयंत्र
- पूर्वगामी सर्वेक्षण द्वारा अध्ययन संयंत्र की जाँच
- तथ्य संकलन
- तथ्यों का संपादन एवं संकेतन
- तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण
- तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन

**तृतीय अध्याय**

- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति।

**चतुर्थ अध्याय**

- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों की जागरूकता।

**पंचम अध्याय**

- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों के उपयोग/प्रयोग में आने वाली बाधाएँ।

**षष्ठ अध्याय**

- अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं में मानव अधिकारों की जागरूकता लाने हेतु उपाय।

- उपकल्पनाओं की जाँच
- निष्कर्ष
- क्षेत्र अनुभव एवं आगामी अध्ययन हेतु सुझाव
- संदर्भ ग्रन्थ सूची
- साक्षात्कार/अनुसूची

**संदर्भ ग्रंथ सूची**


- Laski, Harold Joseph. (1997). A Grammer Of Politics. New York: U.S.A:Routledge Free Paper .
- Wilde, Norma. (1924). The Ethical Basis of State. U.S.A.: Literary Licensing, LLC.
- Johri, J.C. (1966). Human Rights and New world Order: Towards Perfection of the Democretic way of life. New Delhi: Anmol Publication.
- Vincent, R.J. (1986). Human Right and International Relations. New York: Cambridge University Press.
- Selbi, Devid. (1987). Human Rights. New York: Cambridge University.
- Vadackumchery, James. (1996). Human Rights and the Police in India. New Delhi: APH Publishing Corporation.

- Khanna, S.K. (1998). Women and the Human Rights. New Delhi: Commanwealth Publishers.
- Levin, Leah. (1998). Human Rights Questions and Answers. Unesco: National Book Trust India Unesco Publishing.
- Sen, Shankar. (1998). Human Rights in a Developing Society. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.
- Sehgal, B.P. (1999). Human Rights in India. New Delhi: Deep & Deep Publicaton.
- Verma, Neena. & Mehta, P.L. (1999). Human Rights Under The Indian Constituion: The Philosophy and Judicial Gerrymandering. New Delhi: Deep & Deep Publication.
- Chandra, Ashish. (2000). Human Rights Activism and Role of NGOs. Delhi: G.K. Fine Art Press.
- Forsythe, David P. (2000). Human Right in International Relations. U.S.A.: Cambridge University Press.
- Haq, Ul Mahbub. (2000). Human Development in South Asia: The Gender Questions. Karachi Pakistan: Amina Saidi Oxford University.
- Michael, Freeman. (2002). Human Rights. U.S.A.: Black well Publishers.
- Naseema, C. (2002). Human Right Educations. Delhi: Kanishka Publishers Distributars.
- Roy, Arun. (2003). Public Interest Litigation and Human Right in India. New Delhi: Radha Publication.
- Devi, Rameshwari. (2004). Human Rights in the Modern World. New Delhi: Mahamaya Publishing House.

- Karthiyan, D.R. (2005). Human Rights Problems and Solutions. New Delhi: Gyan Publishing House.
- Gupta, Indrani Sen. (2005). Human Rights of Minority and Women's. Delhi: Isha Books.
- Banda, Fareda. (2005). Women Law and Human Rights: An African Perspective. U.S.A. Hart Publishing Oxford Portland Oregon.
- Shivananda, J. (2006). Human Rights : Concepts and Issues. New Delhi: Alfa Publication.
- Baxsi, Upendra. (2007). Human Rights in a Post Human: Critical Essays. New Delhi: Oxford University Press.
- Ishay, Michelive R. (2007). The Human Rights Reader. New York, U.S.A.: Routledge Free Paper.
- Bandyopadhyay, Rathin. (2007). Human Rights of the Non-Citizen Law and Reality. New Delhi: Deep Publication.
- Gonsalves, Lina. (2008). Women and Human Rights. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.
- Mishra, Dr. Koshlendra. (2008) NGOs in the Human Right Movement. New Delhi: Navyoog Publishers and Distributars.
- Reilly, Niamh. (2009). Women's Human Rights Seeking Gender Justice in a Globalizing Age. U.K.: Polity Press.
- Edwards, Alice. (2010). Violence Against Women Under International Human Rights Law. U.K.: Cambridge University Press.
- Chandrashekhar, Dr. Mehta. (2011). Human Rights Women and Violation. Delhi: Educreation Publishing.

- Ross, Susan Deller. (2013). Women's Human Rights The International and Comparative Law Case Book. Philadephia: University of Pennsylvania Press.
- Donnelly, Jack. (2014). Universal Human Rights in Theory Practice. New York: Cornell University Press.
- Head, Robin Red. (2015). Exercising Human Rights: Gender, Agency and Practice. New York: Routledge Press.
- Clapham, Andrew. (2015). Human Rights A Very Short Introducation. U.K.: Oxford Colour Press Ltd.
- Grabe, Shelly. (2017). Women's Human Rights: A Social Psychological Perspective on Resistance, Liberation and Justice. U.S.A.: Oxford University Press.
- जयसवाल, निशिथा और जयसवाल, परमजीत, (1996), "ह्यूमन राइट्स एण्ड द लॉ" दिल्ली, ए0 पी0 एच0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन।
- हरगोपाल, जी0, (1997), "पॉलिटीकल इकॉनोमी ऑफ ह्यूमन राइट्स इमरजिंग डायमेंशन", हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
- गैरोला, रामानन्द, (1999), "अन्तर्राष्ट्रीय संगठन", नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन्स।
- सिन्हा, मनोज के0, (1999), "इम्पलीकेशन्स ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स", दिल्ली, मानक पब्लिकेशन्स।
- राय, अरुण, (1999), "भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग", नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन्स।
- सिंह, अंशुमान, (2000), "मानवाधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार", जयपुर, कॉलेज बुक डिपो।
- गौतम, रमेश प्रसाद एण्ड सिंह पृथ्वीपाल, (2001), "भारत में मानव अधिकारः उल्लघंन, संरक्षण, क्रियान्वयन एवं उपचार", सागर, मध्य प्रदेश, विश्वविद्यालय प्रकाशन।

- चतुर्वेदी, सतीश, (2002), ''मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ'', जयपुर, पोइन्टर पब्लिशर्स।
- गौतम, रमेश प्रसाद, (2003), ''मानव अधिकार विविध आयाम'', मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय प्रकाशन सागर।
- तलेसरा, हेमलता, (2003), ''मानव अधिकार एवं शिक्षा'', उदयपुर, अंकुर प्रकाशन।
- शेण्डे, हरिदास रामजी, (2006), ''मानव अधिकार और शिक्षा'', जयपुर, साहित्य चन्द्रिका प्रकाशन।
- सिंह, मीनाक्षी निशांत, (2008),''आधुनिकता और महिला उत्पीड़न'', दिल्ली, ओमेगा पब्लिकेशन्स।
- फाड़िया, बी0 एल0, (2009), ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति'', आगरा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।
- सिंह, शीलवंत एण्ड सिंह, वी0 के0, (2016), ''भारतीय संविधान'', नई दिल्ली,मैक्ग्रा हिल एजुकेशन इण्डिया प्रा0 लि0।